अनुदान संख्या 68 — अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	4599,98,00	4600,01,00	4345,10,41	-254,90,59
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				251,80,26
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	100,02,00	160,02,00	160,00,00	-2,00
पूरक	Supplementary	60,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	245255.00	233873.34	233872.98	-0.36
पु.	R.	-11381.66			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	49156.00			
पू.	S.	2.00	38026.78	37728.09	-298.69
पु.	R.	-11131.22			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	46765.00			
			..	..	..
पु.	R.	-46765.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	116077.00			
पू.	S.	1.00	160656.36	160656.37	+0.01
पु.	R.	44578.36			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	546.00			
			..	..	..
पु.	R.	-546.00			

(I) ₹47311.00 लाख का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹46380.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "सामान्य – (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) – स्वैच्छिक संगठन को सहायता – अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और सहयोगी योजना" – ₹800.00 लाख;

(ख) "सामान्य – (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) – अन्य व्यय" –

(i) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी, पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता और साधन छात्रवृत्ति" – ₹3600.00 लाख;

(ii) "अल्पसंख्यकों के मैट्रिक के पूर्व छात्रवृत्ति" – ₹9000.00 लाख;

(iii) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति" – ₹4000.00 लाख;

(iv) "अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" – ₹1800.00 लाख;

(v) "कौशल विकास पहल" – ₹2500.00 लाख;

(vi) "नई मंजिल" – ₹1400.00 लाख;

(vii) "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" – ₹21255.00 लाख; और

(viii) "मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन" – ₹1500.00 लाख।

(I) Provision of ₹47311.00 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads; of these ₹46380.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(A) Major Head "2552" -

(a) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Aid to Voluntary Organisations - Coaching and Allied Scheme for Minorities" - ₹800.00 lakhs;

(b) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Expenditure" -

(i) "Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities" - ₹3600.00 lakhs;

(ii) "Pre-Matric Scholarship for Minorities" - ₹9000.00 lakhs;

(iii) "Post-Matric Scholarship for Minorities" - ₹4000.00 lakhs;

(iv) "National Fellowship for students from Minority Communities" - ₹1800.00 lakhs;

(v) "Skill Development Initiatives" - ₹2500.00 lakhs;

(vi) "Nai Manzil" - ₹1400.00 lakhs;

(vii) "Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)" - ₹21255.00 lakhs; and

(viii) "Grant-in-Aid to Maulana Azad Education Foundation" - ₹1500.00 lakhs.

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” – ₹525.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) “आर्थिक विकास – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” – ₹1587.42 लाख की बचत (₹10902.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, कम पेशेवरों को रखे जाने और कोविड महामारी के प्रकोप के कारण सशक्त समिति की बैठक को स्थगित करने के कारण हुई।

(खा) “शिक्षा” –

(क) “मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन को सहायता अनुदान” – ₹3750.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फाउंडेशन से पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) “अल्पसंख्यकों के लिए व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता और साधन छात्रवृत्ति” – ₹4117.45 लाख की बचत (₹32673.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति और कम लाभार्थियों की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - ₹525.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from Union Territories.

(II) Under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Economic Development - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - saving of ₹1587.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10902.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from Union Territories, hiring of less professionals and deferement of meetings of the Empowered Committee owing to outbreak of COVID Pandemic.

(B) “Education” -

(a) “Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation” - saving of ₹3750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate and viable proposals from the Foundation.

(b) “Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities” - saving of ₹4117.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32673.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards Scholarships and less beneficiaries.

(ग) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति” – ₹2232.34 लाख की बचत (₹45096.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति संबंधी कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(c) “Post-Matric Scholarship for Minorities” - saving of ₹2232.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45096.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards scholarships.

(घ) “अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹3700.00 लाख की बचत (₹13700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम दावों की प्राप्ति होने तथा कम पेशेवरों को रखे जाने के कारण हुई।

(d) “Maulana Azad National Fellowship for Minority Students” - saving of ₹3700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13700.00 lakhs) was due to receipt of less claims from University Grant Commission and non-hiring of professionals.

(ङ) “यूपीएसएसी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए समर्थन” – ₹998.50 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारी चयन आयोग के परिणामों की रोक की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और लाभार्थियों से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(e) “Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commissions etc.” - saving of ₹998.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to withholding of results of Staff Selection Commission and receipt of less claims from beneficiaries.

(च) “मुफ्त कोचिंग और संबद्ध स्कीम” – ₹5302.60 लाख की बचत (₹6700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और कम पेशवरों को रखे जाने के कारण हुई।

(f) “Free Coaching and Allied Scheme” - saving of ₹5302.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6700.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates from the Programme implementing agencies and hiring of less professionals.

(छ) “नई मंजिल” – ₹9156.24 लाख की बचत (₹12600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(g) “Nai Manzil” - saving of ₹9156.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12600.00 lakhs); and

(गा) “अन्य व्यय – हमारी धरोहर” – ₹730.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(C) “Other Expenditure - Hamari Dharohar” - saving of ₹730.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates from the Programme Implementing Agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए स्कीम" – ₹640.37 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूर्ण प्रस्तावों की प्रस्तुति न होने के कारण हुई।

(खा) "विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायिकी" – ₹1557.24 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केनरा बैंक से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(गा) "कौशल विकास पहल" – ₹4928.67 लाख की बचत (₹22470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षुओं की लामबंदी और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घा) "अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान" – ₹3230.24 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन एवं प्रचार संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं विक्रेता से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ङ) "भारत का महावाणिज्य दूतावास की स्थापना, जेद्दाह" – ₹977.04 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर प्रतिनियुक्तों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण, कम दौरे किए जाने एवं एम्बुलेंस, फर्नीचर और स्टेशनरी आर्टिकल्स की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – शिक्षा सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं आजीविका और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम" – ₹1618.06 लाख की बचत (₹1760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Scheme for Leadership Development of Minority Women" - saving of ₹640.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to non-submission of complete proposals by programme implementing agencies.

(B) "Interest subsidy on Educational Loans for Overseas studies" - saving of ₹1557.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Canara Bank.

(C) "Skill Development Initiatives" - saving of ₹4928.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22470.00 lakhs) was due to delay in mobilization of trainees and non-submission of accreditation certificate by programme implementing agencies.

(D) "Media Campaign for Minorities" - saving of ₹3230.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertising and publicity and non-receipt of bills from vendor.

(E) "Establishment of Consulate General of India, Jeddah" - saving of ₹977.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from deputationists on implementation of 7th CPC, less tours undertaken and procurement of less ambulance, furniture and stationary articles.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Education Empowerment, Skill Development and Livelihood and Special Programmes of Minorities" - saving of ₹1618.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1760.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹711.26 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 27 और 30 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹711.26 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 27 and 30 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹47043.56 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

2.(I) The above savings were partly (₹47043.56 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2020 under the following major heads:

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम – विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)" – ₹847.13 लाख।

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes - Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)" - ₹847.13 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" – ₹46196.43 लाख।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)" - ₹46196.43 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2225" – "अल्पसंख्यकों का कल्याण – शिक्षा – अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹20238.67 लाख का अधिक व्यय (₹112124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में नए परियोजनाओं संबंधी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2225" - "Welfare of Minorities - Education - Pre-Matric Scholarship for Minorities" - excess of ₹20238.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹112124.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards new projects in States and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	9001.00			
पू.	S.	6000.00	16000.00	16000.00	..
पु.	R.	999.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-1000.00			

(I) ₹1002.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1000.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" – "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1002.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "General (Capital Outlay on Welfare for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities)-Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" – "अल्पसंख्यकों का कल्याण – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹6000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹15000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4225" - "Welfare of Minorities - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - excess of ₹1000.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs including supplementary grant of ₹6000.00 lakhs obtained in March, 2020) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.